हाईस्कूल / इण्टरमीडिएट परिषदीय परीक्षाओं की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की छाया प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र

परीक्षार्थी का अप्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटो

1– परीक्षार्थी का नाम ....

2– माता का नाम ....

3– पिता का नाम..

4– कक्षा तथा वर्ष ....

5– अनुक्रमांक ....

6– विषय (जिसकी उत्तरपुस्तिका की छाया प्रति प्राप्त करनी है) 1– ....

2– .... 3– .... 4– ....

5– ....

7– पत्र व्यवहार का पता –..

....

.... मोबाईल नं0.....................................

8– शुल्क का विवरण–

चालान संख्या	दिनांक	बैंक का नाम	धनराशि

संलग्नक:–
1– चालान की मूल प्रति
2– अंक पत्र की छाया प्रति (इन्टरनेट प्रति भी मान्य)
3– आधार कार्ड की छाया प्रति (स्वप्रमाणित)

मैं..पुत्र / पुत्री श्री.. सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता / करती हूँ कि मैं परिषद् से प्राप्त अपनी मूल्यांकित उत्तरपुस्तिका / उत्तरपुस्तिकाओं में परीक्षक द्वारा किये गये मूल्यांकन के विषय में परिषदीय विनियमों में विहित प्राविधानों का पालन करूँगा / करूँगी तथा उक्त उत्तरपुस्तिका / उत्तरपुस्तिकाओं को किसी भी प्रकार से प्रकाशित किये जाने हेतु उपयोग नहीं करूँगा / करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर–

नाम–

दिनांक–

हाईस्कूल / इण्टरमीडिएट परिषदीय परीक्षाओं की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की छाया प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन हेतु निर्देश

1– मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की छाया प्रति प्राप्त करने हेतु परीक्षाफल घोषणा के उपरान्त निधारित प्रारूप में आवेदन करना होगा।

2– उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 217/XXIV-5/2013/2(17)/2008 देहरादून दिनांक 12 जुलाई 2013 के द्वारा मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की छाया प्रति हेतु रूपया 400=00 प्रति प्रश्न पत्र शुल्क का निर्धारण किया गया है। अतः मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की छाया प्रति चाहने हेतु परीक्षार्थी को लेखा शीर्षक 0202– शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति, 01– सामान्य शिक्षा, 102– माध्यमिक शिक्षा, 02– बोर्ड परीक्षाओं का शुल्क में प्रति प्रश्न पत्र रूपया 400=00 की दर से ट्रेंजरी चालाना लगाना होगा।

3– परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ रूपया 400=00 प्रति विषय की दर से चालान लगाकर उसकी मूल प्रति, अंक पत्र की छाया प्रति (इण्टरनेट प्रति भी मान्य) एवं आधार कार्ड की छाया प्रति (स्वप्रमाणित) सहित संलग्न कर स्वयं अथवा डाक द्वारा सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर (नैनीताल) को परीक्षाफल घोषणा के उपरान्त प्रेषित करना होगा। परिषदीय विनिष्टीकरण नियमावली के अनुसार परिषदीय परीक्षाओं की सभी उत्तर पुस्तिकाएं परीक्षाफल घोषणा के 6 माह अथवा सन्निरीक्षा परिणाम घोषणा के उपरान्त विनिष्ट कर दी जाती हैं। विनिष्टीकरण के उपरान्त उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति चाहने हेतु किये गये किसी भी प्रार्थना पत्र पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।

4– उपरोक्त संलग्नकों के न होने अथवा अपूर्ण आवेदन पत्र विना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिये जायेंगे। एक बार जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।

5– उत्तर पुस्तिका में उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम 2006 के अधीन विहित विनियमों के अध्याय 12 के विनियम 16ड़, के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा। जिसमें उल्लिखित किया गया है कि सन्निरीक्षा का तात्पर्य उत्तर पुस्तकों का पूर्नमूल्यांकन नहीं है। सन्निरीक्षा कार्य में परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तकों में यह देखा जायेगा कि परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तक में क्या अलग–अलग प्रश्नों में दिये गये अंकों का योग करने, उन्हें अग्रेनीत करने अथवा किसी प्रश्न अथवा उसके भाग पर अंक देना छूटने की कोई त्रुटि नहीं हुई है। सन्निरीक्षा कार्य में परीक्षार्थियों को उत्तर पुस्तकों में परीक्षक द्वारा मूल्यांकित प्रश्नों के उत्तरों का कदापि पूर्नमूल्यांकन नहीं किया जायेगा; परन्तु यह कि यदि किसी परीक्षार्थी की उत्तरपुस्तिका में प्रश्न के सही उत्तर पर शून्य अंक दिये गये हैं तो उस प्रश्न का विषय विशेषज्ञ से पुर्नमूल्यांकन कराया जायेगा।

6– उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति का किसी व्यावसायिक उपयोग अथवा प्रकाशन निषिद्ध होगा।

7– किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद के लिए कार्यक्षेत्र माननीय न्यायालय रामनगर जिला नैनीताल होगा।

हाईस्कूल / इण्टरमीडिएट परीक्षा, 202.........

केवल इस पत्र को सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर (नैनीताल) के कार्यालय में कोष–पत्र सहित प्रेषित करें। बिना कोष–पत्र के कोई आवेदन–पत्र स्वीकार न होगा।

(परीक्षार्थी द्वारा साफ–साफ सभी प्रविष्टियों को पूरा भरा जाय)

(हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट स्पष्ट रूप में अंकित करें) परीक्षा का नाम

अनुक्रमांक (अंको में)
(शब्दों में)

सन्निरीक्षा के लिए आवेदन–पत्र

सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर (नैनीताल) के कार्यालय में कोष–पत्र की मूलप्रति सहित परीक्षाफल घोषित होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर अवश्य प्राप्त हो जाय। सन्निरीक्षा–शुल्क, बैंक ड्राफ्ट व पोस्टल–ऑर्डर के रूप में स्वीकार न किए जायेंगे और ऐसे आवेदन–पत्र निरस्त समझे जायेंगे। सन्निरीक्षा–शुल्क 100/– ₹ प्रति विषय निर्धारित हैं। आवेदन पत्र के साथ परीक्षार्थी अपने आधार कार्ड की छाया प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करेंगे।

सेवा में,

सचिव,
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्,
कार्यालय रामनगर (नैनीताल)।

महोदय,

मैं अपनी उत्तर–पुस्तको के अंकों की सन्निरीक्षा, परिषद् के अध्याय–12, विनियम–16 एवं इस आवेदन–पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र पर मुद्रित सन्निरीक्षा के नियमों एवं विषयों के अन्तर्गत कराना चाहता हूँ:–

1. परीक्षार्थी का पूरा नाम (हिन्दी में)
   (अंग्रेजी में)
2. अनुक्रमांक (हिन्दी में) (अंग्रेजी में)
3. विद्यालय का नाम
4. ₹ कोष–पत्र संख्या दिनांक
   राजकोष में जमा किया।

(सन्निरीक्षा के विषय यहाँ अंकित करें)

5. विषय का नाम जिसमें सन्निरीक्षा करानी है

	1.	4.
	2.	5.
	3.	6.

6. पूरा पता (मोबाइल नं0 सहित)

दिनांक 202................

मोबाइल नं0–.....................................

भवदीय,
प्रार्थी का हस्ताक्षर

- -

टिप्पणी—कृपया निम्नलिखित कॉलमों में प्राप्तांकों का उल्लेख कीजिएः— परीक्षा : 202..............

(हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट)

अंक—चिट की प्रमाणित प्रतिलिपि

अनुक्रमांक ________________ नाम ________________ वर्ष ____________

विषय	प्राप्तांक			स्थितीय ग्रेड	सम्पूर्ण योग	परीक्षाफल
	लिखित	प्रयोगात्मक	योग			

यथार्थ प्रतिलिपि

दिनांक 202............ परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

- -

(परीक्षार्थी यहाँ पर अपना नाम तथा पूरा पता लिखें)

सेवा में, ______________________________

____

____

(कृपया इस पन्ने को अपने पास सन्दर्भ के लिए रख लें)

प्रेषक,

सचिव,
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्,
कार्यालय, रामनगर (नैनीताल)।

सेवा में,

श्री ______________________

____

____

पत्रांक : हाईस्कूल/इण्टर/परि० रामनगर दिनांक 202...............

आपके पोस्टकार्ड/पत्र/दिनांक 202.............के सन्दर्भ में अंकों की सन्निरीक्षा के विषय में आवेदन–पत्र की एक प्रति प्रेषित है।

संलग्नक–1 कृते सचिव।

टिप्पणी–(1) शुल्क सन्निरीक्षा हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि परिषद् के परीक्षाफल प्रकाशित होने के 30 दिन के अन्दर है, जिस पर विशेष ध्यान देना अपेक्षित है। कृपया पत्र–व्यवहार करते समय ट्रेजरी चालान में अपना सही अनुक्रमांक, परीक्षा का नाम (इण्टरमीडिएट या हाईस्कूल) एवं वर्ष का उल्लेख कीजिए, जिससे उस पर अविलम्ब कार्यवाही की जा सके।

(2) उत्तराखण्ड के किसी भी स्थान से आवेदन–पत्र भेजने वाले परीक्षार्थी अपना सन्निरीक्षा शुल्क ट्रेजरी में ही जमा करें और ट्रेजरी चालान की मूलप्रति आवेदन–पत्र के साथ भेजें। परीक्षार्थियों का मनीऑर्डर या किसी अन्य प्रकार से भेजा गया सन्निरीक्षा–शुल्क कदापि स्वीकार न होगा।

सन्निरीक्षा के नियम

1. शुल्क सन्निरीक्षा–₹ 100/–, सन्निरीक्षा–शुल्क प्रति विषय की दर से जमा कर मूल कोष–पत्र के साथ निर्धारित अवधि के अन्दर आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने पर कोई भी परीक्षार्थी चाहे वह परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ हो अथवा अनुत्तीर्ण, अपने प्राप्तांकों का सन्निरीक्षण करा सकता है। यह शुल्क बालकों एवं बालिकाओं के लिए तथा प्रत्येक परीक्षार्थी चाहे उसने केवल एक ही विषय में परीक्षा दी हो अथवा समस्त विषयों में, सभी के लिए समान है। शुल्क को उत्तराखण्ड के किसी भी राजकोष में "0202 शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति, 01–सामान्य शिक्षा, 102–माध्यमिक शिक्षा, 02–बोर्ड की परीक्षाओं का शुल्क" के खाते में जमा करना चाहिए। कोष–पत्र (चालान) को संस्थागत परीक्षार्थी, संस्था के प्रधानाचार्य से एवं व्यक्तिगत परीक्षार्थी, केन्द्र–व्यवस्थापक से सत्यापित करा लें। कोष–पत्र में परीक्षार्थी का नाम व पूर्ण पता, अनुक्रमांक एवं परीक्षा का नाम तथा वर्ग स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। कोष–पत्र की दाहिनी तरफ ऊपरी छोर पर भी अनुक्रमांक का उल्लेख बड़े अक्षरों में निम्न प्रकार करना चाहिए:–

उदाहरणार्थ– अनुक्रमांक 249061

हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट

- -

सन्निरीक्षा हेतु आवेदन–पत्र के साथ राजकीय कोष–पत्र की मूल प्रतिलिपि अवश्य संलग्न करें और उसे परीक्षाफल प्रकाशित होने से 30 दिन के भीतर इस कार्यालय में अवश्य भेज दें। उत्तराखण्ड के बाहर से आवेदन–पत्र भेजने वाले परीक्षार्थियों को सचिव/कार्यालय में रेखांकित पोस्टल ऑर्डर अथवा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की रामनगर (नैनीताल) शाखा पर देय रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा अपना सन्निरीक्षा शुल्क भेजना चाहिए।

परीक्षाफल प्रकाशन से 30 दिन के उपरान्त प्राप्त किए गए आवेदन–पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी और विलम्ब हेतु किसी प्रकार का तर्क (जैसे नियम अनभिज्ञता, अंक–चिट की अप्राप्ति, बीमारी आदि) मान्य नहीं होगा।

2. सन्निरीक्षा के कार्य में परीक्षार्थी की उत्तर–पुस्तकों की गुण जाँच सम्मिलित नहीं है। इसमें यह देखा जाता है कि क्या अलग–अलग प्रश्नों में दिए गए अंकों का योग करने, उन्हें अग्रेणित करने अथवा किसी प्रश्न अथवा उसके भाग पर अंक देना छूटने की कोई त्रुटि तो नहीं हुई है।

3. सन्निरीक्षा के परीक्षार्थी द्वारा आवेदित समस्त प्रकरणो का परीक्षाफल, जहाँ उसका प्रभाव परीक्षाफल पर पड़ता है (अंक तथा श्रेणी अथवा अनुत्तीर्ण अथवा उत्तीर्ण) सन्निरीक्षा की समाप्ति पर प्रधानाचार्य/केन्द्र–व्यवस्थापक को तत्काल भेज दिया जाता है।

4. सन्निरीक्षा के समस्त कार्य गोपनीय होते हैं। मूल्यांकन की हुई उत्तर–पुस्तकें एवं अंक–चिटें गोपनीय अभिलेख हैं। अतः उन्हें किसी भी परीक्षार्थी अथवा उनके अभिभावक आदि को नहीं दिखाया जा सकता। उत्तर–पुस्तकों की एक बार सन्निरीक्षा हो जाने पर पुनः सन्निरीक्षा नहीं होगी। अंकों का पुनः मूल्यांकन सम्भव नहीं है। इन विषयों पर पूछ–ताछ करने पर कोई उत्तर नहीं दिया जाएगा। सन्निरीक्षा के परीक्षाफल के लिए कृपया 28 फरवरी के पूर्व पत्र–व्यवहार न करें, क्योंकि उक्त तिथि से पूर्व आए हुए पत्रों का उत्तर देना सम्भव न हो सकेगा।

5. उत्तर–पुस्तकों के सन्निरीक्षा कार्य में नवम्बर के अन्त तक का समय लग सकता है। सन्निरीक्षा के फलस्वरूप बहुत थोड़े ही परीक्षार्थियों के परीक्षाफल में अनुकूल परिवर्तन होते हैं। अतः परीक्षार्थियों को चाहिए कि सन्निरीक्षा परीक्षाफल की प्रतीक्षा न करें। यदि वे परिषद् की आगामी परीक्षा में सम्मिलित होने का विचार करते हैं तो उसके लिए आवेदन–पत्र निर्धारित तिथि तक अवश्य जमा कर दें या विद्यालय में प्रवेश ले लें। सन्निरीक्षा परिणाम की प्रतीक्षा में बैठे रहना उचित नहीं है। जिन परीक्षार्थियों को पूर्णांक मिलाने से उत्तीर्ण अथवा योग वृद्धि के परिणामस्वरूप श्रेणी परिवर्तन की आशा है, उन्हें उन सभी विषयों की सन्निरीक्षा कराना हितकर होगा, जिनमें वे परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। स्मरण रहे कि सन्निरीक्षा शुल्क 100 ₹ प्रति विषय की दर से जमा करना होगा। जिस विषय की सन्निरीक्षा करानी हो, उसका स्पष्ट रूप से उल्लेख करना आवश्यक है।

6. जो परीक्षार्थी सन्निरीक्षा के फलस्वरूप हाईस्कूल की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जायेंगे, वे यदि सन्निरीक्षा फल घोषित होने के पूर्व कक्षा 10 में प्रवेश ले चुके होंगे तो भी उनके लिए कक्षा 11 शैक्षिक वर्ष सन्निरीक्षा फल घोषित होने की तिथि से 10 दिन के बाद प्रारम्भ हुआ माना जायेगा।

7. आवेदन–पत्र के साथ एक सादा लिफाफा, पते सहित (जिस पते पर परीक्षार्थी सन्निरीक्षा परिणाम की सूचना चाहता है) संलग्न करना अनिवार्य होगा, जिस पर रजिस्ट्री हेतु निर्धारित शुल्क का डाक टिकट लगा हो।

8. आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

सूचना

(1) केवल संलग्न आवेदन–पत्र को 100/–₹ प्रति विषय की दर से शुल्क जमा करके, मूल कोष–पत्र के साथ निर्धारित तिथि के अन्दर कार्यालय में भेज दें।

(2) अंक–चिट अपने प्रधानाचार्य/केन्द्र–व्यवस्थापक से अविलम्ब प्राप्त कर लें।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 6 उ०वि०शि०प०/64–13–07–2021–5,000 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/रीजियो)।